दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम व अन्य

बनाम

बच्चन सिंह

(2009 का सिविल अपील नं. 4903)

30 जुलाई 2009

[दलवीर भंडारी व डॉ मुकुन्दकम शर्मा, जे.जे.]

सेवा कानूनः सेवा निवृत्ति लाभ- कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति का लाभ का विकल्प देने के लिए परिपत्र जारी किए- प्रतिवादी कर्मचारी ने विकल्प का उपयोग नहीं किया- लाभ नामंजूर किये- रिट याचिका दायार- उच्च न्यायालय ने माना कि नियोक्ता यह अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा कि परिपत्र कर्माचारी के द्वारा वास्तव में लिखित में नोट कर लिया गया था जिससे यह निष्कर्ष निकला कि नियोक्ता द्वारा जारी विकल्प की कर्माचारी की जानकारी नहीं थी- माना कि उच्च न्यायालय का आदेश तर्क संगत व उचित था तथा उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

भारत का संविधान 1950: अनुच्छेद 14- सभी व्यक्ति जिन्हे समान स्तर पर रखा गया है उनसे प्रदत्त विशेषाधिकार व अधिरोपित उत्तरदायित्व में समान रूप से व्यवहार किया जायेगा- समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान कानून बिना किसी भेदभाव के लागू किया जायेगा- सेवा कानून।

प्रतिवादी ने 16.05.1963 को अपीलकर्ता की सेवा वर्कचार्ज कर्माचारी के रूप में शुरू की उसे हैडमिस्त्री के रूप में दि. 14.10.1981 से नियमित किया गया। वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य था। वह दि. 28.02.2001 को सेवा निवृत्त

हुआ। अपीलकर्ता ने उसके पेंशन लाभों की गणना मात्र उसकी नियमित आधार पर दी गई सेवाओं के आधार पर की और दि. 16.05.1963 से 13.10.1981 की अवधि में वर्कचार्ज आधार पर दी गई सेवाओं के लाभों से मना कर दिया गया?

अपीलकर्ता द्वारा दि. 06.08.1993 को निर्देश जारी किए गये जिसमें वर्कचार्ज कर्मचारीयों को तीन महिने में यह विकल्प देना था कि क्या वे वर्कचार्ज सेवा की अवधि को पेंशन लाभ के लिए गणना करवाना चाहते है या इपीएफ के सदस्य बने रहना चाहते है और अगर वे पेंशन लाभ का विकल्प चुनते है तो उन्हे इपीएफ के कर्मचारी अनुदान की सम्पूर्ण राशि को जीपीएफ खाते के क्रेडिट के लिए वापस करना होगा। अपीलकर्ता द्वारा दूसरा परिपत्र दि. 09.08.1994 को जारी किया गया जिसमें जिन कर्मचारियों द्वारा परिपत्र दि. 06.08.1993 की पालना में पेंशन लाभ को नहीं चुना गया उन्हे स्वीकृति दी गयी। प्रतिवादी की सेवा निवृत्ति के बाद अपीलकर्ता द्वारा पेंशन व सेवा निवृत्ति लाभों की गणना दि. 16.05.1963 से ना की जाकर 14.10.1981 से की गयी। अपीकर्ता के अनुसार प्रतिवादी ने परिपत्र की पालना में अपना विकल्प उपयोग में नहीं लिया था। व्यथित प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिसे स्वीकार किया गया। इसलिए अपील दायर की ।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

1. संविधान के अनुच्छेद 14 में यह अंतर्निहित सिद्घान्त है कि सभी व्यक्ति जिन्हे समान स्तर पर रखा गया है उनसे प्रदत्त विशेषाधिकार व अधिरोपित उत्तरदायित्व में समान रूप से व्यवहार किया जायेगा। समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान कानून बिना किसी भेदभाव के लागू किया जायेगा। [पेरा 20] [723-E-F]

2. जब अपीलकर्ता यह रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असफल रहे जो कि यह दर्शाता हो की दि. 06.08.1993 व 09.08.1994 के निर्देश वास्तव में प्रतिवादी द्वारा लिखित में नोट कर लिये गये थे, ऐसे में यह पूर्ण रूप से तर्कहीन व अकारण होगा कि प्रतिवादी को स्कीम के तहत पेंशन लाभों से मना कर दिया जाये। ऐसे किसी दस्तावेज के अभाव में यह माना जा सकता है कि प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा जारी विकल्पों की जानकारी नहीं थी। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा हस्तगत निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण वास्तव में तर्कसंगत व सही है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। [पेरा 26 व 27] [725-G-H;726-A-B]

सुभ्रत सैन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2001 (8) एससीसी 71; ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडू राज्य व अन्य (1974) 4 एससीसी 3; श्रीमति मेनका गांधी बनाम भारत संघ व अन्य (1978) 1 एससीसी 248; डी ऐसे नकारा व अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305; अजय हासिया व अन्य बनाम खालिद मुजिब सेहरावर्दी व अन्य (1988) 1 एससीसी 722;

केशरचन्द बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1988 (पंजाब) 265 (FB), संदर्भित।

केस कानून संदर्भित:

एआईआर 1988 (पंजाब) 265 (एफबी) पैरा 15 का हवाला दिया गया

(2001) (8) एससीसी 71 पैरा 18 पर निर्भर था

(1974) 4 एससीसी 3 पैरा 19 पर निर्भर था

(1978) 1 एससीसी 248 पैरा 22 पर निर्भर था

(1983) 1 एससीसी 305 पैरा 23 पर निर्भर था

(1981) 1 एससीसी 722 पैरा 24 पर निर्भर था

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के 2004 की सिविल रिट याचिका संख्या 3729 में निर्णय और आदेश दिनांक 28.07.2002 से।

के साथ

एसएलपी (सी) संख्या 5787, 7284, 8267, 8986, 10462, 12856, 12354, 17243, 16411, 2006 की 16580 से उत्पन्न 2009 की सिविल अपील संख्या 4904-4913, 20 की सिविल अपील संख्या 4914-4937 09 उत्पन्न होना एसएलपी में से (सी) संख्या 1241, 1786, 3882, 3194, 3680, 3710, 4879, 4075, 6863, 7003, 9388, 8236, 7502, 7572, 7606, 7614, 8235, 12454, 12253, 19184, 18120, 2007 की 19301, 7930 और 2483, 2009 की सिविल अपील संख्या 4938, 4941 जो 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 14935, 17910,27760 और 20584 से उत्पन्न हुई और 2009 की सिविल अपील संख्या 4942-4944 (से उत्पन्न हुई) 2009 की एसएलपी (सी) संख्या 3766,3889 और 6240

नीरज कुमार जैन, संदीप चतुर्वेदी, संजय सिंह, उग्रशंकर प्रसाद, आभा और शर्मा-अपीलकर्ता

मंजीत सिंह, बीऐसे मोर, ए ए जी, बीऐसे मलिक, प्रणव कुमार मलिक, ऐसे के पत्री, शीशपाल ललेर, बलवीर सिंह गुप्ता मनोज स्वरूप, अक्षत गोयल, ज्योति श्रीवास्तव हेतु अरोड़, अरविंद मिनोचा, औरके रठौड़, चन्द्रशेखर अश्री, जसवीर सिंह मलिक, दयाकृष्ण शर्मा, गगन गुप्ता, कमल मोहन गुप्ता, बीएल जैन, अजयवीर,नितिन जैन विपिन गुप्ता, के शारदा देवी, औरके कपुर, संजना जे बाली, स्वेता कपूर, हरीश चंद्र पंत, मानसी धीमान, गुंजन सिन्हा, अनीश अहमद खान, शशि भूषण, विवेकता सिंह,

बीके सतीजा, ऐसे के सबरवाल, विनय कुमार, रामेश्वर प्रसाद, टीवी जार्ज, अमित सिंह, कुसुम सिंह औरसी कौशिक, बी बालाजी, प्रवेश ठाकुर, नरेन्द्र कुमार, ऐसेऐसे दहिया, संतोष कृष्णन, देवाशीष मीश्रा रमेश के, कैलाश चंद, दिव्या गोदारा, मधुमूलचंदानी हिमांशु उपाध्याय, नितिन कुमार, अरूणव्, रूबीसिंह, राजेश श्रीवास्तव, राघवेन्द्र प्रताप, सुरेश कुमारी, अरविंद नायार, कविता वाधिया- प्रतिवादीगण

न्यायालय द्वारा का निर्णय दलवीर भंडारी, जे. के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया -

1- सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2- ये अपीलें चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध निर्देशित हैं।

3- इन सभी अपीलों में शामिल मूल विवाद समान प्रकृति का है। इसलिए, हम 2004 की सिविल रिट याचिका संख्या 3729 दिनांक 28-07-2005 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर 2005 की ऐसेएलपी (सिविल) संख्या 23708 से उत्पन्न 2009 की सिविल अपील संख्या 4903 में शामिल तथ्यों को दोहराना उचित समझते हैं।

4- यहां प्रतिवादी 16-5-1963 को कार्य-प्रभार क्षमता में प्रयोगशाला परिचारक के रूप में अपीलकर्ता की सेवाओं में शामिल हो गए और 14-10-1981 से हेड मिस्त्री के रूप में नियमित होने तक विभिन्न पदों पर कार्य-प्रभार के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। प्रतिवादी कर्मचारी भविष्य निधि योजना (संक्षेप में 'ईपीएफ योजना') का सदस्य था। इस अवधि के दौरान जब वह कार्य-प्रभारित कर्मचारी बने रहे। प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और 28-2-2001 को सेवा से सेवानिवृत्त हो

गए थे। अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के पेंशन लाभों की गणना केवल उसके द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखकर की और उसे कार्य-प्रभार के आधार पर 16-5-1963 से 13-10-1981 तक उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लाभों से वंचित कर दिया गया।

5- अपीलकर्ताओं ने पेंशन लाभ के लिए कार्य-प्रभार सेवा का लाभ देने के लिए दिनांक 6-8-1993 को निर्देश जारी किए थे। 6-8-1993 का उक्त पत्र निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

द्वाराः

अतिरिक्त सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (एचएसईबी), पंचकुला

मेमो नंबर अध्याय 9/पेन/जीजी-43(93) दिनांक 6-8-93

विषयः पंजाब सीऐसेऔर खंड ॥ में संशोधन-राज्य सरकार का अंगीकरण।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने 23-6-1993 को हुई अपनी बैठक में पेंशन लाभ योजना के लिए कार्य प्रभारित क्षमता में श्रमिकों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गणना के संबंध में हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 1/2 (55)-88-2 एफऔर-2 दिनांक 4-2-92 (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) को अपनाने की मंजूरी दे दी है।

2- हालाँकि, बोर्ड के अधिकांश कार्यभारित कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्य हैं। इस प्रकार, पेंशन लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः -

i) कार्यभारित से नियमित कर्मचारी में नियमितीकरण पर, कर्मचारी को नियमितीकरण की तारीख से या इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, 3 महीने की अवधि के भीतर एक विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि क्या वह

गणना करना चाहता है। पेंशन लाभ के लिए उसके द्वारा प्रदान की गई वर्कचार्ज सेवा की अवधि या ईपीएफ का सदस्य बने रहने का इरादा है। विकल्प को अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि को प्रमाणित और रिकॉर्ड करेगा और इसे सेवा पुस्तिका में भी चिपकाएगा ताकि भविष्य में संदर्भ के लिए एक स्थायी रिकॉर्ड बनाया जा सके। आहरण एवं संवितरण अधिकारी उसके विकल्प के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को भी तुरंत सूचित करेंगे।

ii) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि वह ईपीएफ का सदस्य बने रहना चाहता है।

iii) यदि वह पेंशन लाभ का विकल्प चुनता है, तो उसे बोर्ड के खाते में जमा करने के लिए अपने ईपीएफ के लिए कर्मचारी के योगदान की पूरी राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी, कर्मचारी का योगदान ब्याज सहित जमा किया जाना है। उसके जीपीएफ खाते में जमा करने के लिए बोर्ड के साथ।

3. इसी प्रकार, उपरोक्त लाभ बोर्ड के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन के प्राप्तकर्ताओं को भी समान नियमों और शर्तों पर उपलब्ध होगा, सिवाय इसके कि उन्हें ईपीएफ में कर्मचारी के योगदान के रूप में बोर्ड द्वारा योगदान की गई राशि ब्याज सहित जमा करनी होगी। उस पर, एकमुश्त. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन के प्राप्तकर्ताओं को इस तथ्य का शपथ पत्र देना होगा कि वह राज्य सरकार के परिपत्र को अपनाने के कारण देय पेंशन लाभ के बकाया पर किसी भी ब्याज का दावा नहीं करेंगे। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन के प्राप्तकर्ता इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 3

महीने के भीतर, पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए, अंतिम बार उपस्थित कार्यालय प्रमुख को अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। यदि 3 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि वह ईपीएफ का सदस्य बने रहना चाहता है।

4. कृपया इन निर्देशों को सभी कर्मचारियों से नोट करवाएं और पत्र की पावती दें।

ऐसडी/-अवर सचिव (पीडब्ल्यू) अतिरिक्त सचिव, एचएसईबी, पंचकुला के लिए

6. कार्यधारित कर्मचारियों को अपीलकर्ताओं को विकल्प प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने दिनांक 9.8.1994 को एक और परिपत्र जारी किया, जिसमें उक्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई, जो दिनांक 6.8.1993 के परिपत्र के जवाब में अपने विकल्प का उपयोग नहीं कर सके। परिपत्र दिनांक 9.8.1994 इस प्रकार है:-

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा

अतिरिक्त सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (एचएसईबी),

पंचकुला मेमो नंबर Ch.30/पेन/जी-43(93) दिनांक 9.8.94

विषय: पेंशन लाभ के लिए वर्कचार्ज सेवा की गिनती के संबंध में पंजाब सीऐसेऔर खंड II में संशोधन -उसका स्पष्टीकरण।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने 23.6.1993 को हुई अपनी बैठक में हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या 1/2(55)-86-2 एफऔर-2 दिनांक 4.2.92 को अपनाने की

मंजूरी दे दी और इसे बोर्ड के मेमो संख्या अध्याय 2/पेन/जी-43(93) दिनांक 6.8.1993 के माध्यम से परिचालित किया गया था।

2. उपरोक्त बोर्ड के परिपत्र के जारी होने के बाद विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिक संघों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे/प्रश्न उठाए गए। 27.7.94 को आयोजित कार्यकारी बैठक में मुद्दों/प्रश्नों पर विचार किया गया और आवश्यक स्पष्टीकरण निम्नानुसार अनुमोदित किए गए हैं: -

(ए) विकल्प प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के द्वारा निर्धारित 3 महिने की समय सीमा दिनांक 05/11/93 को समाप्त हो गयी। विकल्प को उपयोग करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई।	जिनके द्वारा पेंशन लाभ की सुविधा पहले प्राप्त नहीं की गई है उनके लिए यह विकल्प उपयोग करने के लिए स्पस्टीकरण जारी होने से 3 महीने की अवधि स्वीकार की जा सकती है
(बी) यहां एक अस्पष्टता है कि वे कर्मचारी जो सेवाओं की नियमितता के बाद भी इपीएफ स्कीम के सदस्य बने रहे, वे परिपत्र में शामिल है या नहीं	कि वर्कचार्ज कर्मचारी जो कि दिनांक 09.01.74 (यानि परिपत्र के अभिग्रहण की तिथि) को नियमित कर्मचारी की तरह बोर्ड की सेवा में थें या उसके बाद नियमितता प्राप्त की है वे अपना पेंशन लाभ प्राप्त करने का विकल्प अपनी वर्कचार्ज सेवा की गणना कर उपयोग कर सकते है तब भी जब बोर्ड के निर्देश दि. 06.08.93 के जारी होने के बाद भी वे इपीएफ के सदस्य बने रहे, अगर वे पेंशन स्कीम में शामिल होने के विकल्प का उपयोग करते है।

(सी) एक मुद्दा उठाया गया है कि कर्मचारी/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के इपीएफ की राशि वापिस करने की दि. से ब्याज की दर क्या होगी तथा ब्याज किस अवधि का लगाया जायेगा	ऐसे मुददो में ब्याज पेंशनकर्ताओं के लाभ के विकल्प पर बोर्ड को नियोक्ता/कर्माचारी के अनुदान की ब्याज सहित वास्तविक वापसी की दि. तक होगा। ब्याज की दर वहीं होगी जो जीपीएफ सदस्यता के लिए लागू है।
(डी) एक प्रश्न उठाया गया कि क्या कुल वर्कचार्ज सेवा हरियाणा सरकार अधिसूचना दि. 04.02.92 की शर्तों के अनुसार 09.01.74 से पेंशन लाभों के लिए मानी जायेगी।	कि बोर्ड ने हरियाणा सरकार अधिसूचना दि. 04.02.92 को 09.01.74 से अभिग्रहण किया है इसलिए उन कर्मचारियोंं की जो 09.01.74 से बोर्ड की सेवा में नियमित कर्मचारी थे या उनका नियमितिकरण उसके बाद हो गया है उस सभी की वर्कचार्ज सेवा की पेंशन लाभों के रूप में गणना की जावेगी।
(ई) कर्मचारी संगठन की एक मांग यह है कि इपीएफ राशि का ब्याज सहित भुगतान बीबीएमबी विकल्प की पद्दति पर एकमुश्त ब्याज के बजाय किश्तो में किया जाना चाहिए।	अधिकतम 24 मासिक किश्तो की हद तक नियोक्ता/कर्माचारी का ब्याज सहित अनुदान कर्माचारी की शेष सेवा अवधि के रहते बोर्ड को समुचित किश्तो में वापिस किया जा सकता है उन व्यक्तियो के मामलों में जो पहले ही सेवा निवृत्त हो चूके है कर्मचारी का ब्याज सहित अनुदान बोर्ड को एकमुश्त वापस किया जायेगा।

3. कृपया इन निर्देशों को सभी कर्मचारियों से नोट करवा लें और पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

(ऐसेडी/-अतिरिक्त सचिव, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पंचकुला)

7. पेंशन लाभ चुनने की एकमात्र शर्त यह थी कि संबंधित कर्मचारी ईपीएफ योजना के तहत प्राप्त नियोक्ता के हिस्से की राशि उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापस कर देगा।

8. प्रतिवादी द्वारा यह दलील दी गई कि उसे अपीलकर्ताओं द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसे नोट करवाया गया था और इस तरह, वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर पेंशन लाभ देने के लिए अपने विकल्प का उपयोग नहीं कर सका।

9. प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र की जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद उसने 20.12.1994 को पेंशन योजना के तहत शासित होने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया। प्रतिवादी ने कहा कि वह ईपीएफ योजना के तहत प्राप्त अपेक्षित राशि जमा करने के लिए तैयार है। अपीलकर्ताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद उसके नियमितीकरण की तारीख यानी 14.10.1981 से उसकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की। प्रतिवादी ने दिनांक 2.9.2002 और 16.4.2003 को अनुस्मारक जारी किए, लेकिन अपीलकर्ताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः, प्रतिवादी ने 10.11.2003 को अपीलकर्ताओं को एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें अपीलकर्ताओं से अपील की गई कि वे अपीलकर्ताओं के दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के परिपत्रों में जारी निर्देशों के आलोक में उनके पेंशन मामले पर

विचार करें। चूँकि प्रतिवादी को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए, उसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

10. अपीलकर्ताओं के तर्क का मुख्य मुद्दा यह था कि पेंशन योजना के तहत शासित होने के लिए इच्छुक कर्मचारियों से विकल्प आमंत्रित करते हुए उक्त परिपत्र दो बार जारी किए गए थे। यहां तक कि उक्त परिपत्रों को नोटिस बोर्ड पर भी लगाया गया था और उसकी प्रतियां सचिव, श्रमिक संघ को भेजी गई थीं, लेकिन प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर अपने विकल्प का उपयोग करने में विफल रहा और इसलिए, पेंशनभोगी के लिए कार्य-प्रभार सेवाओं की गणना के लिए उसका मामला अपीलकर्ताओं द्वारा उचित रूप से लाभों पर विचार नहीं किया गया है।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि वह हमेशा कार्य-प्रभार सेवा की गणना करके पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए इच्छुक और इच्छुक था और वह ईपीएफ योजना के तहत ब्याज के साथ नियोक्ता के हिस्से की राशि वापस करने के लिए तैयार था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि परिपत्रों के बारे में जानने के तुरंत बाद, उसने पेंशन योजना के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया और वास्तव में वह अपीलकर्ताओं से लगातार पेंशन देने के लिए उसके मामले पर विचार करने का अनुरोध कर रहा है, लेकिन प्रतिवादी की शिकायत का निवारण नहीं किया गया है। प्रतिवादी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

12. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ, पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता (दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के निर्देशों को) यह दर्शाने वाला कोई भी रिकॉर्ड पेश करने

में विफल रहे थे कि- वास्तव में प्रतिवादी से लिखित में नोट करवाया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, यह अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी को दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के परिपत्रों के माध्यम से अपीलकर्ताओं द्वारा मांगे गए विकल्पों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा जारी किए गए उक्त परिपत्रों के बावजूद प्रतिवादी को पेंशन लाभ से इनकार करना अनुचित होगा। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे प्रमाणित रसीद की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी को दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के परिपत्रों के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने की अनुमति दें। आदेश की प्रति और उसके बाद उसे पेंशन योजना के तहत शासित होने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अधीन परिणामी लाभ दें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उक्त फैसले से व्यथित अपीलकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

13. अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने निर्धारित अवधि के भीतर दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के निर्देशों का पालन नहीं किया और इस तरह वह इन परिपत्रों के संदर्भ में लाभ का हकदार नहीं है।

14. उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलकर्ता ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जो दर्शाता हो कि दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के निर्देश वास्तव में प्रतिवादी से लिखित रूप में नोट कराए गए थे। अपीलकर्ता ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में भी विफल रहे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के निर्देशों के तहत बुलाए गए विकल्पों के बारे में कोई जानकारी थी। उच्च

न्यायालय ने यह भी देखा कि मामले के इस दृष्टिकोण में प्रतिवादी और समान रूप से रखे गए उत्तरदाताओं को पेंशन लाभ से इनकार करना अनुचित होगा।

15. यह उल्लेख करना उचित होगा कि केसर चंद बनाम पंजाब राज्य एआईऔर 1988 (पंजाब) 265 (एफबी) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पूरे मामले की जांच के बाद पाया कि एक बार कार्य-प्रभारित कर्मचारी की सेवाएं को नियमित किया जाता है, तो उसे पंजाब सिविल सेवा नियम खंड 2 के नियम 3.17 (ii) के तहत लाभ का हकदार माना जाएगा। नियम 3.17 (ii) इस प्रकार है:-

> "यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर मूल रूप से एक स्थायी पद धारण कर रहा था, तो राज्य सरकार के तहत उसकी अस्थायी या स्थानापन्न सेवा, उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टि के साथ बिना किसी रुकावट के हो तो उसे पूरी तरह से अर्हक सेवाओं के रूप में गिना जाएगा सिवाय इसके कि:-
>
> (i) गैर पेंशन योग्य प्रितष्ठान में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि
>
> (ii) कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवाओं की अवधि;
>
> और
>
> (iii)....."।

16. न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियमितीकरण से पहले वर्कचार्ज के आधार पर बिताई गई सेवा की अवधि को उसकी

अर्हक सेवा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भाग निर्णय के पैरा 19 में निहित है और इस प्रकार है:-

> "19...यह अतार्किक प्रतीत होता है कि किसी कर्मचारी द्वारा उसके नियमितीकरण से पहले किसी वर्कचार्ज संस्था को उनकी अर्हक सेवा निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा गया है। जो वर्गीकरण उन सरकारी कर्मचारियों के बीच करने की मांग की जा रही है जो पेंशन के लिए पात्र हैं और जिन्होंने कार्य-प्रभारित कर्मचारी शुरू किए और उनकी सेवाएं बाद में नियमित हो गईं, और अन्य किसी भी समझदार मानदंड पर आधारित हैं और, पहले, कानून में माने जाने योग्य नहीं हैं। कार्यप्रभारित कर्मचारी की सेवाएँ नियमित हो जाने के बाद वह अन्य सेवकों की भाँति लोक सेवक है। उसे पेंशन से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण और असमान है, बल्कि मनमानी की भावना से प्रभावित है, और कुछ कारणों से नियमों के नियम 3.17 के उप-नियम (ii) के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए। संविधान।"

17. केसर चंद के मामले (सुप्रा) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस अदालत के समक्ष लाया गया था। इस अदालत ने उक्त विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

18. इस न्यायालय का मानना है कि पेंशन कर्मचारी द्वारा की गई लंबी सेवा का इनाम है न कि इनाम। 2001(8) एससीसी 71 के अनुसार सुब्रत सेन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:-

"14...जैसा कि नकारा के मामले में देखा गया, पेंशन न तो कोई इनाम है, न ही नियोक्ता की इच्छा के आधार पर अनुग्रह का मामला है, न ही अनुग्रह भुगतान है। यह प्रदान की गई पिछली सेवाओं के लिए भुगतान है। यह है एक सामाजिक कल्याण उपाय जो उन लोगों को सामाजिक-और्थिक प्रदान करता है जो अपने जीवन के दैनिक दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर लगातार मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा..."

19. अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी और समान रूप से रखे गए कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने के लिए दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 को परिपत्र जारी किया था।

20. इस अदालत ने बार-बार देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 14 की गारंटी में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि समान रूप से रखे गए सभी व्यक्तियों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के एक ही स्थिति में सभी पर समान कानून लागू करना होगा।

21. ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1974) 4 एससीसी 3 में इस अदालत ने निम्नानुसार कहा: -

"सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानी के विपरीत है। वास्तव में समानता और मनमानी कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा, एक पूर्ण राजा की सनक से संबंधित है। जहां एक अधिनियम मनमाना है, इसमें यह अंतर्निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और यदि यह

सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है । अनुच्छेद 14 और 16 राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर प्रहार करते है और उपचार की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करते है।"

22. श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1978) 1 एससीसी 248 में इस अदालत ने निम्नानुसार देखा: -

"समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर कैद नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर प्रहार करता है और उपचार की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। तर्क संगतता का सिद्धांत, जो कानूनी और साथ ही दार्शनिक रूप से, समानता या गैर-मनमानापन का एक अनिवार्य तत्व है, अनुच्छेद 14 में एक चिंतनशील सर्वव्यापीता की तरह व्याप्त है।"

23. डीऐसे नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा: -

" अनुच्छेद 14 का जोर इस बात पर है कि नागरिक कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है। चीजों की प्रकृति में समाज असमानताओं से बना है, एक कल्याणकारी राज्य को कार्यकारी और विधायी कार्रवाई दोनों के माध्यम से समाज में कम भाग्यशाली व्यक्तियों की मदद कर उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करना होगा ताकि समाज में सामाजिक और और्थिक असमानता

को पाट दिया जा सके। इसके लिए नागरिकों के एक समूह जो असमान है और जिनके हिस्से में सुधार राज्य की सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य है, पर लागू होने वाले कानून की आवश्यकता होगी। वर्गीकरण के सिद्धांत के अभाव में ऐसे कानून के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की आधारशिला के लड़खड़ाने की संभावना है। अदालत सामाजिक स्तरीकरण और और्थिक असमानता का वास्तविक मूल्यांकन करती है और उन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखती है जिन पर राज्य की कार्रवाई संवैधानिक रूप से निर्धारित की जानी चाहिए जैसे संविधान के भाग IV में, वर्गीकरण के सिद्धांत को विकसित किया गया है। यह सिद्धांत समाज के कमजोर वर्गों या सहायता की आवश्यकता वाले समाज के कुछ ऐसे वर्गों की मदद के लिए डिज़ाइन किए गए कानून या राज्य की कार्रवाई को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया था। विधायी और कार्यकारी कार्रवाई को तदनुसार कायम रखा जा सकता है यदि यह उचित वर्गीकरण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित तर्कसंगत सिद्धांत के दोहरे परीक्षणों को संतुष्ट करता है। इसलिए, राज्य को न्यायालय को सकारात्मक रूप से संतुष्ट करना होगा कि दोहरा परीक्षण संतुष्ट हो गया हैं। यह केवल तभी संतुष्ट हो सकता है जब राज्य न केवल उस तर्कसंगत सिद्धांत को स्थापित करता है जिस पर वर्गीकरण आधारित है, बल्कि उन उद्देश्यों के साथ भी सहसंबंध स्थापित करता है जिन्हें प्राप्त किया जाना है।"

24. अजय हसिया एवं अन्य बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य (1981) 1 एससीसी 722 में इस अदालत ने निम्नानुसार देखा: -

"इसलिए, अब यह अच्छी तरह से तय माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 14 जिस चीज पर प्रहार करता है, वह मनमानी है क्योंकि कोई भी कार्रवाई जो मनमानी है, उसमें जरूरी तौर पर समानता का खंडन शामिल होना चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जहां कोई अधिनियम मनमाना है, वह इसमें निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है, और इसलिए, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

25. रमाना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण एवं अन्य (1979) 3 एससीसी 489 में फिर से इस अदालत ने कहा कि सरकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई रद्द की जा सकती है, जब तक कि सरकार द्वारा यह नहीं दिखाया जा सके कि प्रस्थान मनमाना नहीं था, बल्कि कुछ वैध सिद्धांतों पर आधारित था जो अपने आप में अतार्किक, अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं था ।

26. कानून को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि बड़ी संख्या में मामलों में व्यक्त किया गया है, जहां इस अदालत ने देखा है कि सरकार की ओर से कोई भी भेदभावपूर्ण कार्रवाई निरस्त की जा सकती है। इसलिए, इस मामले में, प्रतिवादी को योजना के तहत पेंशन लाभ से वंचित करना पूरी तरह से अनुचित और तर्कहीन होगा, खासकर जब अपीलकर्ता यह दिखाने वाला कोई रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहे हैं कि दिनांक 6.8.1993 और 9.8.1994 के निर्देश प्रतिवादी द्वारा वास्तव में लिखित में नोट किए गए थे। ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं द्वारा जारी किए गए विकल्पों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

27. हमारी सुविचारित राय में, आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वास्तव में एक तर्कसंगत, उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

28. ये अपीलें किसी भी योग्यता से रहित हैं और तदनुसार पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ कर खारिज कर दी जाती हैं।

डी.जी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रूपल अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।